एफ.डी.ए भवन, नई दिल्ली में दिनांक 14 जून, 2018 के अपराह्न 13:30 बजे आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की छब्बीसवीं बैठक एफ.डी.ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में दिनांक 14 जून, 2018 के अपराह्न 13:30 बजे श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। भागीदारों की सूची **अनुबंध-1** पर संलग्न है।

अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने प्राधिकरण के सदस्यों और उद्योग के विशेष आमंत्रितों का बैठक में स्वागत किया।

अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि भविष्य में कार्यसूची के शीर्षक में 'अंतिम (मसौदा) अधिसूचना' शब्दों की जगह 'प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना' शब्दों का प्रयोग किया जाए।

मद सं0 1:

दिनांक 21.02.2018 को आयोजित 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी विभिन्न दखलों को कार्यवृत्त में सही ढंग से शामिल नहीं किया गया है। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में दखलों में नाम देने की आवश्यकता नहीं है। 'खाद्य सहयोज्य पदार्थ/परिशिष्ट-क : विभिन्न खाद्य श्रेणियों में अतिरिक्त सहयोज्य पदार्थों को शामिल करने का उपबंध' से संबंधित कार्यसूची की मद के संबंध में यह उल्लेख किया गया कि बिक्री मशीनों में कृत्रिम मीठाकारकों के उपयोग पर प्रतिबंध हटाने संबंधी निर्णय खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और सहयोज्य) विनियमों के लिए भी लागू है, जिन्हें कार्यवृत्त में नहीं दिखाया गया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सुझाए गए संशोधनों को प्रस्तावित अतिम अधिसूचना में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

कार्यवृत्त की तदनुसार पुष्टि की गई और उसका अंगीकरण किया गया।

मद सं0 2 : 25वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोट की गई। संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मंत्रालय में लंबित अधिसूचनाओं को जल्दी निपटाने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष ने भी सचिवालय को संश्लेषित सिरप और शरबत, चिकन में सेलमोनेला और पेस्टीसाइडों में एमआरआई निर्धारण संबंधी अधिसूचनाओं पर जल्दी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खाद्य

सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के पुनरीक्षण के संबंध में कार्यसूची की पूरक मद संख्या 25.V के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने सदस्यों को अपनी सम्मतियाँ 15 दिनों के अंदर देने का अनुरोध किया, जिससे विनियमों को जल्दी अंतिम रूप दिया जा सके।

मद सं0 3 : मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

प्राधिकरण ने बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट **(अनुबध-2)** नोट की।

मद सं0 4 : अनुमोदन हेतु कार्यसूची

कार्यसूची की मद संख्या 26.1

खाद्य मानक/विनियम

क. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011:

(क) अंतिम अधिसूचनाएँ

(I) 'विनियम 2.1 : डेयरी उत्पाद और सदृश उत्पाद' में संशोधन

(i) दुग्ध प्रोटीन सांद्र,

(ii) व्हे प्रोटीन सांद्र, और

(iii) गाय/भैंस का खीस और खीस उत्पाद,

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचनाओं का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(II) 'विनियम 2.2 : वसाएँ, तेल और वसा पायस' में संशोधन

(i) सरसों का कच्ची घानी का तेल,

(ii) गलनांक के संदर्भ में पॉम ऑयल

(iii) एवोकेडो तेल,

(iv) पॉम स्टीयरीन,

(v) पॉम गुठली स्टीयरीन,

(vi) पॉम गुठली ओलीन,

(vii) पॉम सुपरोलीन,

(viii) वनस्पति,

(ix) सभी वनस्पति तेलों के मानकों में परऑक्साइड मान को शामिल करना

उद्योग के प्रतिनिधि ने 'अन्य निष्कर्षित खाद्य तेलों और वसाओं में सक्रिय ऑक्सीजन/किग्रा तेल अथवा वसा के 10 मिलीसमतुल्य तक' कच्चे तेल में छूट देने का उपबंध करने का सुझाव दिया। यह स्पष्ट किया गया कि ये मानक केवल खाद्य वनस्पति तेलों पर लागू हैं। अत: ऐसी छूट की आवश्यकता नहीं है और इसे एफएक्यू के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(III) 'विनियम 2.3 : फल और सब्जी उत्पाद' में संशोधन

(i) ताप-प्रसंस्कृत फल सलाद/कॉकटेल/मिक्स,

(ii) टोमाटो केचअप और टोमाटो सॉस

(iii) खजूर पेस्ट,

(iv) किण्वित सोयाबीन पेस्ट,

(v) हैरिसा (लाल गर्म मिर्च पेस्ट),

(vi) सब्जी प्रोटीन उत्पाद,

(vii) द्रुत-प्रशीतित तले आलू,

(viii) डिब्बाबंद चेस्टनट और डिब्बाबंद चेस्टनट प्यूरी, और

(ix) खाद्य कवक उत्पाद।

उद्योग के प्रतिनिधियों के कुछ अवलोकन निम्नानुसार थे :

क) 'मद (vii) : द्रुत प्रशीतित तले आलू' के संबध में 6.0% (द्रव्यमान अनुसार) (अधिकतम) तेल अंश की अपेक्षा को हटाने और कोडेक्स के अनुसार साइज दोषों संबंधी छूट देने का सुझाव दिया, जिस पर सहमति हुई।

ख) 'मद (ix) : खाद्य कवक उत्पाद' के संबंध में फ्रीज-शुष्कित कवक' में जल अंश की सीमा 6% से बढ़ाकर 8% (द्रव्यमान अनुसार) करने का सुझाव दिया गया। यह स्पष्ट किया गया कि 6.0% सीमा की अनुशंसा संबंधित वैज्ञानिक द्वारा कोडेक्स के अनुसार की गई है। अत: इस सुझाव को प्राधिकरण द्वारा नहीं माना गया।

मद (vii) में संशोधन के साथ प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(IV) 'विनियम 2.7 : मिठाइयाँ और मिष्टान्न' में संशोधन

(i) कोको पाउडर, और

(ii) कोको मॉस अथवा कोको/चॉकलेट लिकर और कोको केक।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(V) 'विनियम 2.9 : लवण, मसाले, कंडिमेंट और संबंधित उत्पाद' में संशोधन

(i) सौंठ,

(ii) और सौंठ चूर्ण।

प्राधिकरण ने अंतिम अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ख) मसौदा अधिसूचनाएँ:

(I) 'विनियम 2.2 : वसा, तेल और वसा पायस' में संशोधन

(i) परिशोधित वनस्पति तेल में ट्रांस फैटी एसिडों की सीमाएँ,

(ii) वनस्पति तेलों के मानकों से बेलियर टर्बिडिटी परीक्षण (बीटीटी) मानदंड को निकालना।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(II) 'विनियम 2.3 : फल और सब्जी उत्पाद' मे संशोधन

3) ताप-प्रसंस्कृत फल - डंडी वाली चेरी शामिल करना,

4) प्रसंस्कृत फल रस,

5) प्रसंस्कृत सब्जी रस,

6) काजू,

7) सिंघाड़े का आटा,

8) रंजन खाद्य,

9) फल और सब्जी उत्पादों में टीएसएस अंश में अल्प शर्करा उत्पाद शामिल करना।

उद्योग के प्रतिनिधियों ने काजू गिरियों के टुकड़ों में मुक्त वसीय अम्लों की अलग सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने रंजन खाद्यों में मार्कर पिगमेंट % की सीमा का भी मुद्दा उठाया। उन्हें मसौदा अधिसूचना जारी होने के बाद उस पर अपनी सम्मतियाँ देने का अनुरोध किया गया।

इन सम्मतियों के साथ प्राधिकरण ने प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(III) 'विनियम 2.5 : मांस और मांस उत्पाद' में संशोधन

10) उप-विनियम 2.5.1 : ''मांस और मांस उत्पादों से संबंधित विनियम 2.5 में विहित ''परिभाषाएँ'',

11) पशु केसिंग,

12) अंडा उत्पाद

अंडा उत्पादों के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधियों ने अंडा उत्पाद के विषय-क्षेत्र में 'स्प्रे शुष्कन' शब्दों की जगह 'उपयुक्त शुष्कन' शब्द रखने का सुझाव दिया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

इस संशोधन के साथ प्राधिकरण ने प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(IV) 'विनियम 2.6: मछली और मत्स्य उत्पाद' में संशोधन

13) पाश्च्युरीकृत मछली सॉसेज,

14) पाश्च्युरीकृत क्रैब मांस,

15) मछली प्रसंस्करण अपशिष्ट से जिलेटिन।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(V) 'विनियम 2.10 : बीवरेज (डेयरी और फल एवं सब्जी-आधारित को छोड़कर)' में संशोधन

16) उप-विनियम '2.10.6 : बीवरेज, गैर-एल्कोहलीय - कॉर्बोनेटिड' के अंतर्गत विहित उत्पादों में खनिज जल का उपयोग।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VI) 'विनियम 2.11 : अन्य खाद्य उत्पाद और संघटक' में संशोधन

17) बेकिंग पाउडर

उद्योग के प्रतिनिधियों ने गेहूँ के आटे को शामिल करने का सुझाव दिया, क्योंकि उसे भी बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें मसौदा

विनियमों की अधिसूचना के बाद अपनी सम्मतियाँ देने का अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(VII) 'विनियम 2.12 : मालिकाना खाद्य' में संशोधन

18) 'विनियम 2.12 अर्थात् मालिकाना खाद्य' में संशोधन

प्राधिकरण की पूर्वानुमति से मालिकाना खाद्यों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के योजन संबंधी प्रस्ताव को इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वापस ले लिया गया। आगे, यह परामर्श दिया गया कि इस संबंध में पैनल की चिंता को अलग से लिया जाए।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त विलोपन के साथ प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(VIII) 'विनियम 3.1 : खाद्य उत्पादों में उपयोग के लिए अन्य पदार्थ और परिशिष्ट 'क'

19) किण्वित डेयरी उत्पादों में स्टेविया का उपयोग, और

20) मीठाकारकों की पुनरीक्षा

प्राधिकरण ने प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

ख. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 :

(क) अंतिम अधिसूचना

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के कीटनाशियों से संबंधित एमआरआई संबंधी उप-विनियम 2.3.1 के संशोधन के बारे में मसौदा अधिसूचना दिनांक 27.12.2017

(क) वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि के सी.आई.बी एंड आर.सी के साथ न पंजीकृत पेस्टीसाइडों के संबंध में कुछ अवलोकन थे। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि वाणिज्य मंत्रालय भारत में न पंजीकृत परंतु भारत के निर्यातक देश में प्रयुक्त पेस्टीसाइडों के बारे में डैटा दे। उसके बाद हमारी प्रयोगशालाओं द्वारा ऐसे उत्पादों के आयात में ऐसे अपंजीकृत पेस्टीसाइडों की मौजूदगी की जाँच करने का परामर्श दिया जा सकता है।

आगे, अधिसूचना में *"0.01 मिग्रा/किग्रा की सहयता सीमा उन पस्टीसाइडों के मामले में लागू होगी जिनके लिए एमआरएल तय नहीं की गई है"* सामग्री का नोट भी जोड़ने का निर्णय लिया गया।

(ख) उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा कि चाय बोर्ड ने चाय में क्विनॉलफॉस की एमआरएल पर एक अध्ययन कराया था जिस दौरान उसने 0.7 मिग्रा/ किग्रा एमआरएल पाई। उन्होंने इन व्युत्पन्नों को सी.आई.बी एंड आर.सी को प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि उसे इस संबंध में सी.आई.बी एंड आर.सी से कोई डैटा प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा डैटा प्राप्त होने और एमआरएल में संशोधन की आवश्यकता समझी जाने पर वह अलग से कर दिया जाएगा।

(ग) उद्योग के प्रतिनिधियों ने इन विनियमों के क्रियान्वयन के लिए और अंधिक संक्रामण काल का अनुरोध किया। इस पर सहमति नहीं हुई और आगे निर्णय लिया गया कि जन हित में इन विनियमों को इनके प्रकाशन की तिथि से लागू किया जाएगा।

प्राधिकरण ने इन सम्मतियों के साथ प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(ख) मसौदा अधिसूचना

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में धातु संदूषकों संबंधी मसौदा अधिसूचना में संशोधन,

(2) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अंतर्गत एफ्लाटोक्सिन और कवकविष की सीमाएँ।

एफ्लाटोक्सिन के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधियों ने कुल एफ्लाटोक्सिन और एफ्लाटोक्सिन बी1 के लिए 'अनिर्दिष्ट खाद्य' शब्दों की जगह 'उपर्युक्त किसी खाद्य वस्तु वाला खाद्य उत्पाद' शब्द रखने का सुझाव दिया, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त संशोधनों के साथ प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

ग. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) विनियम, 2011

(क) अंतिम (मसौदा) अधिसूचना :

(1) "खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018" के बारे में मसौदा अधिसूचना दिनांक 13.03.2018

प्राधिकरण ने कार्यसूची के एडेंडा (**अनुबंध-3)** पर विचार किया।

उद्योग के प्रतिनिधियों के निम्नानुसार कई अवलोकन थे:

क) सामान्य सिद्धांत {विनियम 3.1(4)} पुन: बनाए जाएँ।

ख) सशर्त दावे (विनियम 3.6) : 'प्राकृतिक', 'ताजा', 'शुद्ध', 'असली', 'पारंपरिक', 'प्रीमियम', 'शुद्धतम', 'सर्वोत्तम', 'प्रामाणिक', 'जेन्युइन', 'रियल' इत्यादि विशेषणों के प्रयोग के लिए अनुसूची 5 में निर्धारित शर्तों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

ग) दावों का अनुमोदन (विनियम 4) : अनुमोदन की अपेक्षा से पोषक तत्व के कार्य संबंधी दावे को निकालकर उसे कोडेक्स के समनुरूप करना।

घ) अनुसूची-1 : 'पोषक तत्व/संघटक' के अंतर्गत 'प्रीबॉयोटिक' जोड़ना।

ङ) अनुसूची-2 : 'अल्प' के समानार्थी के रूप में 'हल्का' शब्द जोड़ना।

च) अनुसूची-4 : केवल पौष्टिकीकृत खाद्य उत्पादों पर लागू न होकर सभी उत्पादों पर लागू न होना।

इस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त की।

छ) अनुसूची-5 : यह लचीली और व्यापक हो, जिसके बारे में उद्योग पॉजिटिव सूची उपलब्ध कराएगा।

विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि उद्योग के प्रतिनिधि प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना पर अपनी सम्मतियाँ उचित औचित्य क साथ-साथ खाद्य की लेबलिंग, प्रस्तुतीकरण अथवा विज्ञापन में आने वाले ट्रेड मार्क/ब्रांड नाम के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह निर्णय लिया गया कि 30.06.2018 से पहले प्राप्त सम्मतियों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना को प्राधिकरण की तरफ से अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए।

(2) "खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबदी) विनियम, 2018 की मसौदा अधिसूचना

प्राधिकरण ने 'टैंपर-एविडेंट बोतल'' शब्दों की जगह 'टेंपरनसह बोतल' शब्द रखने का निर्णय लिया। उद्योग के प्रतिनिधियों के ''विनियम 4.4(5) - रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक से बने उत्पाद, कैरी बैग सहित, खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग, भंडारण, ले जाने अथवा वितरित करने के लिए प्रयोग नहीं किए जाएँगे'' के बारे में कतिपय अवलोकन थे। उन्होंने कहा कि रिसाइकिल किया गया प्लास्टिक भी खाद्य ग्रेड का होगा, जिसकी अनुमति दी जाए। प्राधिकरण इस प्रकार संशोधन करने पर सहमत हुई - ''रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक से बने उत्पादों, कैरी बैग सहित, का खाद्य वस्तुओं की पैकेजबंदी, भंडारण, ले जाने अथवा वितरण के लिए तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक उनका खाद्य ग्रेड के रूप में पुन: प्रमाणन न कर दिया गया हो'', बशर्ते कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्लास्टिक सामग्रियों की रिसाइकिलिंग का प्रतिषेध न हो।

प्राधिकरण ने इन सम्मतियों के साथ प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

घ. खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग हेतु खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 :

(क) मसौदा अधिसूचना :

1) खाद्य सुरक्षा और मानक (स्वास्थ्य अनुपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग हेतु खाद्य, विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 में संशोधन

उद्योग के प्रतिनिधियों के कार्यसूची के पृष्ठ 154 पर खंड (29) में उल्लिखित एकल संघटकों के उपयोग के बारे में कतिपय अवलोकन थे। न्युट्रास्युटिकल्स श्रेणी में एकल रसायन एंटिटियों, यथा कैफीन, जिनमें शरीर में सक्रिय होने वाली औषध जैसी अथवा उत्प्रेरक प्रक्रिया होती है, की पहचान करने कर निर्णय लिया गया। सदस्य ऐसे संघटकों की सूची एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत कर दें, जिससे इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सके। तब तक इस खंड को प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना से निकाल दिया जाए।

प्राधिकरण ने इन सम्मतियों के साथ प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

ङ. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम :

(क) मसौदा अधिसूचना :

1) पौष्टिकीकृत बहुधान्य आटा

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

2) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पौष्टिकीकरण) विनियम, 2018 के अंतर्गत दुहरे पौष्टिकीकृत लवण और पौष्टिकीकृत वनस्पति के मानकों का पुनरीक्षण

प्राधिकरण ने वितरण चैनल, खुदरा स्तर उपभोक्ता स्तर सहित, में आयोडीन अंश के संबंध में '15 से अन्यून(शुष्क भार के रूप में)' शब्दों की जगह '15-30(शुष्क भार के रूप में)' शब्द रखने का निर्णय लिया।

प्राधिकरण ने इन सम्मतियों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

3) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पौष्टिकीकरण) विनियम, 2018 के अंतर्गत पौष्टिकीकारकों के स्रोत के रूप में 'हेम लौह' के उपयोग का उपबंध

प्राधिकरण ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

च. खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 :

(क) अंतिम (मसौदा) अधिसूचना :

1) सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल के लिए बोदोईं परीक्षण की अपेक्षा को हटाने और उप-विनियम '2.3.15 - वनस्पति तेल और वसा की बिक्री से संबंधित विशेष उपबंध' की खंड (3) के पुनरीक्षण के बारे में मसौदा अधिसूचना दिनांक 07.02.2018

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्तावित अंतिम अधिसूचना का अनुमोदन किया।

छ. विविध :

(1) वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर निर्णय लिया कि वैज्ञानिक पैनलों की अंतिम संरचना का प्राधिकरण की तरफ से अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए।

(2) सुपारी और इसके उत्पादों, पान मसाला सहित, के विज्ञापन पर प्रतिषेध

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर पान मसाला सहित सुपारी और इसके उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की वैज्ञानिक समिति की अनुशंसा का अनुमोदन किया।

(3) सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए तेल और वसा वैज्ञानिक पैनल के अंतर्गत गठित कार्यकारी दलों की अनुशंसाओं का अनुमोदन

प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि तेलों के लिए प्रस्तावित सकारात्मक दावों को अंतिमन के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 में शामिल कर लिया जाए।

प्राधिकरण ने इन सम्मतियों के साथ प्रस्तावित मसौदा अधिसूचना का अनुमोदन किया।

(4) खाद्य तेलों और वसाओं में ट्रांस फैटी एसिडों की सीमाओं को और अधिक कम करने का प्रस्ताव

उद्योग के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि बेकरी शोर्टनिंगों में ट्रांस फैटी एसिडों की सीमा अधिकतम 5% पर रखी जा सकती है और यह कि अन्य वस्तुओं के बारे में ऐसी सीमा पर मामले अनुसार विचार किया जाए, जिस पर प्राधिकरण ने सहमति व्यक्त नहीं की। तथापि, अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि ट्रांस फैटी एसिडों की सीमा कम करने की तकनीकी व्यावहार्यता की अलग से जाँच की जाए।

प्राधिकरण ने इन सम्मतियों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

ज. सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल की लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजबंदी और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2018 की मसौदा अधिसूचना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर कार्रवाई का अनुमोदन किया। सम्मतियाँ/सुझाव, यदि कोई हों, मसौदा अधिसूचना स्तर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

झ. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के विषय-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2018 की मसौदा अधिसूचना, जिससे उन पूर्व-पैकबंद खुदरा खाद्य वस्तुओं को शामिल किया जा सके जिनकी अस्थायी एनओसी के विषय-क्षेत्र में आसानी से खोज की जा सके

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्ताव का अनुमोदन किया। प्राधिकरण को बताया गया कि इस प्रस्ताव को खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के वृहद् संशोधन में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

ञ. मानकों/विनियमों और एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का क्रियान्वयन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर की गई कार्रवाई का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद संख्या 26.2 : खाद्य परीक्षण और निगरानी

(1) एफ.एस.एस.ए.आई-अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची

(क) प्राधिकरण की 25वीं बैठक के बाद अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची

प्राधिकरण ने प्रस्तावित सूची का अनुमोदन किया।

(ख) दिसंबर, 2014 से पहले पैनलबद्ध की गई खाद्य प्रयोगशालाओं का राजपत्र अधिसूचना के बिना विनियमन

प्राधिकरण ने दिसंबर, 2014 से पहले पैनलबद्ध खाद्य प्रयोगशालाओं का अधिसूचित-मानित प्रयोगशालाओं के रूप में भूतकालिक प्रभाव से अनुमोदन किया।

(2) मेसर्स थर्मो फिशर साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर प्रस्तावित कार्रवाई का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद संख्या 26.3 : खाद्य सुरक्षा अनुपालन

(क) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में वृहद् संशोधन

प्राधिकरण ने मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

(ख) आयातित खाद्य की खेपों पर संशोधनीय लेबलिंग सूचना

(ग) पूर्व-पैकेजबंद खुदरा वस्तुओं के लिए अस्थायी एनओसी जारी करने से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 9 के उप-विनियम (3) में संशोधन का क्रियान्वयन

(घ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47(5) के साथ पठित धारा 25 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के विनियम 13(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारियों की अधिसूचना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचारकर उपर्युक्त कार्रवाइयों का अनुमोदन किया।

(ङ) केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त का अंगीकरण

प्राधिकरण ने सूचनार्थ परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

(च) राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अभिनामित अधिकारियों (डीओ) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (एफएसओ) की कमी

(छ) दिनांक 30 जून, 2018 तक की सीजनिंग के मौजूदा लेबलों को अनुमति देते हुए सीजनिंग की लेबलिंग अपेक्षाओं से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत निर्देश

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर उपर्युक्त कार्रवाइयों को अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद संख्या 26.4 : सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

(क) आईईसी सामग्री के प्रकाशन के लिए सृजनात्मक कॉमन लाइसेंस का अंगीकरण

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर उसका अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद संख्या 26.5 : शासन और प्रशासन

(क) भर्ती विनियमों की रचना

(ख) एब्जोर्ब किए गए कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर उसका अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 26.V(1)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रमुख शीर्षों, यथा विनियमात्मक प्रशिक्षण, आईटी-प्रशिक्षण, प्रयोगशाला प्रशिक्षण इत्यादि पर बेहतर स्पष्टता के लिए गतिविधि-आधारित लेखांकन का सुझाव दिया। आगे, अध्यक्ष ने वित्त प्रभाग को चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अलग से यथाविहित व्यवस्थानुसार मामले को सेटल न किए गए अग्रिमों और प्रतिभूति राशियों के परिप्रेक्ष्य में सेटल करने का सुझाव दिया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 26.V(2)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त लेखानुदान और प्राधिकरण की आंतरिक राजस्व प्राप्तियों को छोड़कर एफ.एस.एस.ए.आई की वित्तीय गतिविधियाँ

प्राधिकरण ने सूचना के लिए परिचालित कार्यसूची की मद को नोट किया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 26.V(3)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट का अनुमोदन

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर यथाप्रस्तावित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट का अनुमोदन किया।

कार्यसूची की पूरक मद संख्या 26.V(4)

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधनों का खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन

अध्यक्ष ने सदस्यों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधनों पर लुप्त चीजों अथवा निर्धारित उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने का अनुरोध किया, जिससे अधिनियम अधिक सशक्त तथा प्रवर्तनीय बनाया जा सके। आगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उद्योग के प्रतिनिधियों को धारा 27 की विशेष रूप से समीक्षा करने और उस पर सम्मति देने पर बल दिया। सदस्यों को अपनी सम्मतियाँ दो सप्ताह के अंदर देने को कहा।

कार्यसूची की मद संख्या 26.V(5)

प्रशीतित बीनों, प्रशीतित फूलगोभी, प्रशीतित मटर और प्रशीतित पालक के मानकों की मसौदा अधिसूचना

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर मसौदा अधिसूचना का यथाप्रस्ताव अनुमोदन किया।

कार्यसूची की मद संख्या 26.V(6)

एफ.एस.एस.ए.आई में तकनीकी अधिकारियों (टीओ) की अनुबंध के आधार पर भर्ती

प्राधिकरण ने कार्यसूची की मद पर विचार कर खाद्य सुरक्षा और मानक (भर्ती) विनियमों के अंतिम रूप दिए जाने तक 25 तकनीकी अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर भर्ती करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

बैठक सभी भाग लेने वाले सदस्यों को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

हस्ता/-	हस्ता/-
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष

अनुबंध 1

उपस्थित सदस्यों की सूची

क. **प्राधिकरण के सदस्य**

1. श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई;
2. श्री पवन अग्रवाल, सी.ई.ओ, एफ.एस.एस.ए.आई, सदस्य सचिव;
3. श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
4. श्री एन. रमेश, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय (श्री संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव की एवज में)
5. श्री मिन्हाज आलम, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
6. श्री बी. एन. दीक्षित, निदेशक, विधिक माप-विज्ञान, उपभोक्ता मामले विभाग (श्री पी. वी. रामशास्त्री, संयुक्त सचिव की एवज में)

ख. विशेष आमंत्रिति

1. सुश्री पर्णा दासगुप्ता, फिक्की;
2. सुश्री मीतू कपूर, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई);
3. सुश्री श्रेया पांडेय, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्ज एशोसिएशन (एआईएफपीए);

ग. एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारी

1. सुश्री माध्वी दास, सी.एम.एस.ओ
2. श्री कुमार अनिल, सलाहकार (मानक)
3. श्री सुनील बख्शी, सलाहकार (कोडेक्स/विनियम)
4. श्री एन. भास्कर, सलाहकार (क्यूए)
5. सुश्री गरिमा सिंह, निदेशक (आरसीडी)
6. डॉ. रूबीना शाहीन, निदेशक (आरएआरडी/एफएसएमएस)
7. सुश्री सुनीति टुटेजा, निदेशक (आयात/एफएफआरसी)
8. श्री राज सिंह, प्रमुख (सामान्य प्रशासन)
9. श्री ए.के. चाणना, प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
10. डॉ. ए.सी मिश्रा, संयुक्त निदेशक (मानक)
11. डॉ. ए. के. शर्मा, परामर्शदाता
12. डॉ. एस. सी. खुराना, परामर्शदाता
13. श्री पी. कार्तिकेयन, सहायक निदेशक (विनियम/कोडेक्स)

14. श्री मनोज, सहायक निदेशक (वित्त)

15. सुश्री रत्ना श्रीवास्तव, वैज्ञानिक iv(l) (विनियम)

16. डॉ. (सुश्री) शेल्वी अग्रवाल, तकनीकी अधिकारी (मानक)

0-0-0-0-0

अनुबंध-2

खाद्य प्राधिकरण की 26वीं बैठक (14.06.2018)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट (यथाप्रस्तुत)

1. खाद्य मानक/विनियम

दिनांक 21 फरवरी, 2018 को आयोजित प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद वैज्ञानिक समिति, वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें तथा मानक-निर्धारण का कार्य

1.1 वैज्ञानिक समिति की बैठकें(2) : वैज्ञानिक समिति की 29वीं और तीसवीं बैठकें क्रमश: दिनांक 21 मई, 2018 और 06 जून, 2018 को आयोजित हुईं।

1.2 वैज्ञानिक पैनलों की बैठकें (19) : अवधि के दौरान निम्नलिखित पैनलों की बैठकें हुईं:

i) **जैववैज्ञानिक खतरे वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 23वीं बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2018 को आयोजित हुई।

ii) **धान्य, दालें और फलियाँ और उनके उत्पाद (बेकरी सहित) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 14वीं बैठक दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

iii) **खाद्य श्रृंखला में संदूषण वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 19वीं बैठक दिनांक 15 मार्च, 2018 को आयोजित हुई।

iv) **मछली और मत्स्य उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 14वीं बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2018 को आयोजित हुई।

v) **खाद्य सहयोज्य, सुवासकारी पदार्थ, प्रसंस्करण सहायक सामग्री और खाद्य संपर्क सामग्री वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 36वीं बैठक दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

vi) **फल और सब्जी और उनके उत्पाद (सूखे फलों, गिरियों, लवण, मसालों और कंडिमेंट सहित) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 12वीं और 13वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 12 मार्च, 2018 तथा 28 मई, 2018 को आयोजित हुईं।

vii) **प्रयोजनमूलक खाद्य, न्युट्रास्युटिकल, आहारिक उत्पाद और अन्य मिलते-जुलते उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 38वीं बैठक दिनांक 09 और 10 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

viii) **जीन-परिवर्तित जीवाणु और खाद्य वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 13वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

ix) **दूध और दुग्ध उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 7वीं और 8वीं बैठकें दिनांक 13 मार्च, 2018 और 17 मई, 2018 को आयोजित हुई।

x) **कुक्कुट सहित मांस और मांस उत्पाद वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 8वीं बैठक दिनांक 22 मार्च, 2018 को आयोजित हुई।

xi) **प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 22वीं बैठक दिनांक 04 मई, 2018 को आयोजित हुई।

xii) **लेबलिंग और दावे/विज्ञापन वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 25वीं बैठक दिनांक 26 और 27 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

xiii) **तेल और वसा वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 11वीं और 12वीं बैठकें क्रमश: दिनांक 5 मार्च, 2018 और 29 मई, 2018 को आयोजित हुई।

xiv) **पेस्टीसाइड और प्रतिजैविक अवशिष्ट वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 51वीं बैठक दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

xv) **जल (सुवासित जल सहित) और बीवरेज (एल्कोहलीय, गैर-एल्कोहलीय) वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 10वीं बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

xvi) **पोषण और पौष्टिकीकरण वैज्ञानिक पैनल :** पैनल की 6ठी बैठक दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को आयोजित हुई।

की गई सिफारिशें कार्यसूची में खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु शामिल की गई हैं।

2. खाद्य परीक्षण और निगरानी

2.1 खाद्य विश्लेषक परीक्षा (एफएई) परिणाम

खाद्य विश्लेषक की परीक्षा में शामिल 80 उम्मीदवारों में से 73 उम्मीदवारों ने प्रायोगिक परीक्षा पास की और बोर्ड द्वारा योग्य खाद्य विश्लेषक घोषित किए गए । पास उम्मीदवारों की संपूर्ण सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.2 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला प्रणाली पर अपडेट

प्राप्त आवेदनों तथा उनकी विधिवत् रूप से गठित कोर समिति द्वारा जाँच के आधार पर निम्नलिखित 15 प्रयोगशालाओं का उनके सामने दिए क्षेत्रों में एन.आर.एल के रूप में अस्थायी रूप से चयन किया गया है:

क्रम सं0	प्रयोगशाला का नाम	कार्य का विशिष्ट क्षेत्र
1.	सीएसआरआई-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	पोषण लेबलिंग
2.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कोची	जीएमओ/एलएमओ
3.	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	पेस्टीसाइड
4.	आईसीएआर-राष्ट्रीय द्राक्षा अनुसंधान केंद्र, पुणे	पेस्टीसाइड और कवकविष
5.	सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान्, लखनऊ	विषविज्ञान
6.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, कोलकाता	भारी धातुएँ
7.	पशुधन और खाद्य विश्लेषण केंद्र, एनडीडीबी, आणंद	दूध और दुग्ध उत्पाद
8.	आईसीएआर-केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोची	मछली और मत्स्य उत्पाद
9.	निर्यात निरीक्षण एजेंसी, चेन्नई	सूक्ष्म जीवविज्ञान
10.	पंजाब बॉयोटेक्नोलॉजी इन्क्युबेटर, मोहाली	शहद और मिष्टान्न सहित सभी मीठाकारक अभिकर्मक
11.	ट्रिलोजी एनालाइटिकल लैबोरेटरी प्रा0 लि0, हैदराबाद	सभी धान्यों और दालों में कवकविष
12.	ईएफआरएसी, कोलकाता	प्रतिजैविकों और हार्मोनों सहित पशु औषध अवशिष्ट
13.	विमटा लैब्स, हेदराबाद	जल, गैर-एल्कोहलीय और एल्कोहलीय बीवरेज
14.	फेअर लैब्स प्रा0 लि0, गुरुग्राम	तेल और वसा
15.	नियोजने फूड एंड एनिमल सिक्योरिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोची	एलर्जेन

उपर्युक्त प्रयोगशालाओं का कोर ग्रुप द्वारा शीघ्र ही निरीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में घोषित किए जाने के बाद ये प्रयोगशालाएँ/संस्थान निम्नलिखित कार्य करेंगी:

(i) कम से कम एक दक्षता परीक्षण/अंतरप्रयोगशालायी तुलना करना,

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना (अन्य प्रयोगशालाओं के कार्मिकों सहित),

(iii) पद्धति विकास और वैधीकरण/सत्यापन,

(iv) प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) का प्रापण और उनकी प्रदायगी,

(v) दक्षता परीक्षण/विशिष्ट एनालाइट के लिए एनएबीएल-प्रत्यायन।

2.3 एफ.आर.एस.एल गाजियाबाद की प्रगति

पहली मंजिल पर सिविल और विद्युतीय कार्य जल्दी पूरा होने वाला है। प्रयोगशाला का फर्नीचर और धुएँ के हुड भी डिलिवर कर दिए गए हैं। एफ.आर.एस.एल गतिविधियाँ बंद होने के बाद भूतल पर भी काम शुरू कर दिया गया है। काम आरंभ करने के लिए एफ.आर.एस.एल को नवयुग मार्केट, गाजियाबाद की पुरानी इमारत में शिफ्ट किया जा रहा है।

2.4 सी.एफ.एल, कोलकाता का उन्नयन

विश्लेषण उपस्कर प्राप्त करने की निविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है और आर्डर दे दिया गया है। ये सभी उपस्कर जून, 2018 के मध्य तक संस्थापित कर दिए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त एक (U) एचपीएलसी खरीद लिया गया है और संस्थापित कर दिया गया है। सूक्ष्मवैज्ञानिक सेक्शन स्थापित करने के लिए पुनरीक्षित निविदा पर काम जारी है। सेवा के अयोग्य/डिस्पोजेबल वस्तुओं की नीलामी कर दी गई है और वस्तुओं को निपटाया जा रहा है।

2.5 तीसरी पार्टी की सहायता से राष्ट्रीय दुग्ध सर्वेक्षण के बारे में अपडेट

तृतीय पक्ष सर्वेक्षण मई, 2018 में आरंभ हुआ था, जो मेसर्स विमटा लैबोरेटरीज, हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में कुल 1106 शहरों को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक शहर से कम से कम 6 नमूने लिए जाएँगे। अब तक 30 शहरों से 184 दुग्ध नमूनों की गणतात्मक और परिमाणात्मक जाँच की जा चुकी है। मध्यावधि समीक्षा जून, 2018 के अंत की जाने का कार्यक्रम है।

2.6 खाद्य सुरक्षा पारितंत्र के बारे में अपडेट

- **राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण (यथा 01.06.2018 को)**

  उन्नयन हेतु विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को ₹ 39.45 करोड़ का अनुदान स्वीकृत/ जारी किया जा चुका है, जिससे उन्नयन के लिए जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 70.50 करोड़ से बढ़कर ₹ 109.95 करोड़ हो गया है, जो देश के 24 राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों की 26 राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को दिया गया।

- **रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण**

  आईआईसीटी-हैदराबाद, एनआईपीएचएम-हैदराबाद और एनआरसीजी-पुणे में रेफरल प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए अनुदान स्वीकृत और जारी किया जा चुका है, जिससे रेफरल प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 9.375 करोड़ से बढ़कर ₹ 13.09 करोड़ हो गया है, जो 7 रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को दिया गया।

- **चल खाद्य सुरक्षा (एफएसडब्ल्यू)**

  9 अन्य एफएसडब्ल्यू स्वीकृत/डिलिवर कर दिए गए हैं, जिससे 26 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत/प्रदत्त एफएसडब्ल्यू की संख्या 22 से बढ़कर 31 हो गई है।

2.7 क्षमता-निर्माण

- प्रतिजैविकों सहित पशु औषध अवशिष्टों के विश्लेषण पर दो अन्य ''प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी)'' कार्यक्रम (एक पीबीटीएल, मोहाली में और दूसरा मेसर्स वाटर्स लैबोरेटरी, बेंगलुरू में) आयोजित किए गए। इनसे प्रतिजैविकों सहित पशु औषध अवशिष्टों के संबंध में आयोजित कुल टीओटी की संख्या 4 से 6 हो गई है और कुल सहभागियों की संख्या 50 से बढ़कर 73 हो गई है।
- रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला-मैसूर, हबर्ट एन्वायरो केअर सिस्टम्स प्रा0 लि0-चेन्नई और रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई में तीन अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों (जीएफएलपी) पर कार्यक्रम किए गए, जिससे आयोजित जीएफएलपी की कुल संख्या 10 से बढ़कर 13 हो गई है और प्रशिक्षार्थियों की संख्या 321 से बढ़कर 394 हो गई है।

3. खाद्य सुरक्षा अनुपालन

3.1 खाद्य सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)

मसौदा खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2017 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग एजेंसियों को अस्थायी मान्यता देना और केंद्रीय संस्थानों में खाद्य सुरक्षा ऑडिट करना।"

3.2 विनियमात्मक अनुपालन

दिनांक 01 मई, 2018 से लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की कागजी प्रति का स्थान कंप्यूटर-जनित प्रति ने ले लिया है। एफ.एस.एस.ए.आई के लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर सुरक्षा विशेषता के रूप में एक क्यूआर कोड भी होगा, जिससे लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की जाँच की जा सकती है। इस कंप्यूटर-जनित लाइसेंस/पंजीकरण के आधार पर खाद्य कारोबारी अपना कारोबार तुरंत आरंभ कर सकता है।

4. वैश्विक संपर्क

4.1 कोडेक्स

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी, 2018 से अब तक विभिन्न विषयों पर कोडेक्स समिति की 4 बैठकों में भाग लिया। भारतीय चिंताओं अथवा स्थितियों पर पर्याप्त रूप से विचार होना सुनिश्चित करने हेतु भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इन बैठकों के दौरान कई दखलें दीं। बैठकों में भारत द्वारा की गई बड़ी दखलों और उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

i) **खाद्यों में संदूषकों पर कोडेक्स समिति (सीसीसीएफ) का 12वाँ सत्र**

खाद्यों में संदूषकों पर कोडेक्स समिति (सीसीसीएफ) का 12वाँ सत्र दिनांक 12 से 16 मार्च, 2018 तक उट्रेच, द नीदरलैंड्स में सम्पन्न हुआ। भारत से संबंधित कार्यसूची की मदों पर निम्नानुसार विचार किया गया:

- **किनोआ में सीसा और कैडमियम की अधिकतम सीमाएँ**

  भारत ने समिति को सूचित किया कि किनोआ स्यूडो धान्य होने तथा इसे उगाने की अवस्थाएँ भिन्न होने के कारण किनोआ पर अलग से विचार करना बेहतर होगा तथा इसमें सीसे और कैडमियम की अधिकतम सीमा इससे संबंधित विशिष्ट आँकड़ों के आधार पर हो। समिति ने इसे नोट किया और वह

इस मामले पर कोडेक्स तथा जेईसीएफए सचिवालयों से प्राप्त कागजों के आधार पर सीसीसीएफ13 में विचार करने पर सहमत हुई।

- **फलों और सब्जियों तथा अन्य चुनिंदा वस्तुओं में सीसा का प्रस्तावित मसौदा और अधिकतम मसौदा सीमाएँ**

  आम की चटनी में सीसा की अधिकतम सीमा का पुनरीक्षण - ईडब्ल्यूजी ने आम की चटनी में सीसा की अधिकतम सीमा 1 मिग्रा/किग्रा से कम करके 0.3 मिग्रा/किग्रा करने का प्रस्ताव दिया था, परंतु भारत की दखलों के बाद सीसीसीएफ आम की चटनी में सीसा की अधिकतम सीमा 1 मिग्रा/किग्रा से कम करके 0.4 मिग्रा/किग्रा करने पर सहमत हुई।

- **सम्बद्ध प्रतिचयन योजनाओं सहित मछली में मिथाइलमर्करी की अधिकतम सीमा**

  समिति सीएसी41 को अंगीकरण के लिए टूना मछली में मिथाइलमर्करी की अधिकतम सीमा 1.2 मिग्रा/किग्रा फारवर्ड करने पर सहमत हुई। समिति ने स्वोर्डफिश के लिए कोई अधिकतम सीमा न तय करने के कार्य को जारी न रखने पर सहमति व्यक्त की।

ii) खाद्य सहयोज्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति का 50वाँ सत्र (सीसीएफए50)

सीसीएफए का 50वाँ सत्र जियामेन, चीन में दिनांक 26 से 30 मार्च, 2018 तक आयोजित हुआ।

विभिन्न श्रेणियों में खाद्य सहयोज्य पदार्थों संबंधी उपबंधों को भारत के प्रस्तावानुसार अंगीकृत किया गया, जिनमें खाद्य श्रेणी 04.1.2.5 के उत्पादों को छोड़कर खाद्य श्रेणी के सूखे फल और फल-आधारित स्प्रैड (उदाहरणार्थ चटनी) में टोकोफेरॉल, नाइसिन, वसीय अम्लों के पॉलिग्लिसरॉल एस्टर, प्रॉपलीन ग्लासोल एल्जीनेट, सूक्रोग्लाइसिराइड, वसीय अम्लों के सूक्रोज एस्टर, सूक्रोज ओलीगोएस्टर, टाइप 1 और टाइप 2 तथा खाद्य श्रेणी 1.6.4-प्रसंस्कृत पनीर में टोकोफोरॉल शामिल हैं।

iii) हाइकू, चीन में दिनांक 9 से 14 अप्रैल, 2018 तक आयोजित पेस्टीसाइड अवशिष्टों पर कोडेक्स समिति का 50वाँ सत्र (सीसीपीआर50)

पेस्टीसाइड अवशिष्टों पर कोडेक्स समिति का 50वाँ सत्र दिनांक 9 से 14 अप्रैल, 2018 तक चीन में सम्पन्न हुआ। समिति ने बॉयो-पेस्टीसाइडों पर चिल्ली के प्रस्ताव

का समर्थन किया और उसकी अध्यक्षता तथा भारत एवं यूएसए की सहअध्यक्षता में ईडब्ल्यूजी स्थापित किया।

भारत ने ''खाद्य में पेस्टीसाइडों के रूप में एंडोक्राइन डिस्रप्टिंग केमिकलों के समाधान के लिए एक समान जोखिम प्रबंधन के मार्गदर्शी सिद्धांतों'' पर नए कार्य का प्रस्ताव पेश किया और इस बात पर बल दिया कि एंडोक्राइन डिस्रप्टिंग केमिकलों के विनियमन, जो देशों के मध्य एक बड़ा मुद्दा है, के संबंध में सुमेलित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अभाव है। समिति ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा व्यापार में इस मामले की महत्ता को आँका तथा इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ईडीसी अनेक प्रकार के स्रोतों से हो सकता है, यह मामला व्यापक है तथा सीसीपीआर के अधिदेश के बाहर का है। समिति ने सुझाव दिया कि भारत इस मुद्दे को सीएसी के समक्ष उठा सकता है।

iv) शिकागो, संयुक्त राज्य अमरीका में दिनांक 23 से 27 अप्रैल, 2018 तक आयोजित खाद्य पदार्थों में पशु औषधों के अवशिष्टों पर कोडेक्स समिति का 24वाँ सत्र (सीसवीआरवीडीएफ24)

सीसीआरवीडीएफ का 24वाँ सत्र शिकागो, यूएसए में दिनांक 23 से 27 अप्रैल, 2018 तक सम्पन्न हुआ। समिति भारत तथा फिलिपाइन के अनुरोध पर जेईसीएफए द्वारा मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन के लिए एथॉक्सीक्विन (झींगों के लिए आहार सहयोज्य के रूप में प्रयुक्त) को पशु औषधों की प्राथमिकता सूची में रखने पर सहमत हुई।

- **हस्ताक्षरित एमओयू/एमओसी**
- दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को एफ.एस.एस.ए.आई तथा डैनिश वैटरीनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन (डीवीएफए) के मध्य खाद्य सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। उसे भारत के माननीय प्रधान मंत्री की स्टॉकहोम यात्रा (16 से 17 अप्रैल, 2018) के दौरान साझा किया गया।
- **बाहर भेजे गए प्रतिनिधिमंडल**
- प्राधिकरण की पिछली बैठक में सूचनार्थ परिचालित एजेंडा मद के अनुसरण में एफ.एस.एस.ए.आई के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को जानकारियाँ प्रापत करने के लिए फ्रांस (जनवरी, 2018), यूके (फरवरी, 2018), न्यूजीलैंड (अप्रैल, 2018) और सिंगापुर (मई, 2018) भेजा गया। इन

प्रतिनिधिमंडलों की मेहमानबाजी संबंधित देशों द्वारा की गई1 ये प्रतिनिधिमंडल भेजने के पीछे यह विचार था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम में वरिष्ठ प्रबंधन को वैश्विक खाद्य विनियमन प्रणालियों से रू-ब-रू कराया जाए, जिससे यजमान और मेहमान दोनों का ज्ञान बढ़े।

- **एफ.एस.एस.ए.आई के दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल**

  1. **ग्रुलैक (संयुक्त राष्ट्र में लैटिन अमरीका और कैरीबियाई देशों का समूह)**

     - राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों वाले 15 से अधिक लैटिन अमरीका के देशों के प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक एफ.एस.एस.ए.आई में दिनांक 4 जून, 2018 को अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई की अध्यक्षता में हुई, जिस दौरान खाद्य सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई।

  2. **पोलैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक**

     - महामहिम जैसेक बोगुकी, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री,पोलैंड की अध्यक्षता में पोलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 12 मार्च, 2018 को एफ.एस.एस.ए.आई के अध्यक्ष से मुलाकात की, जिस दौरान खाद्य सुरक्षा तथा व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

  3. **श्री टेड मैकिने, अवर सचिव, व्यापार और विदेशीय कृषि मामले, यूएस कृषि विभाग (यूएसडीए)**

     - श्री टेड मैकिने, अवर सचिव, व्यापार और विदेशीय कृषि मामले, यूएस कृषि विभाग (यूएसडीए) के नेतृत्व में यूएस का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 21 फरवरी, 2018 को अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई से मिला। बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने परस्पर हित की गतिविधियों में कार्यों को सशक्त बनाने की इच्छा जाहिर की।

5. प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

5.1 फोस्टैक प्रगति :

अब तक 122 प्रशिक्षण सहयोगियों को पैनल में शामिल किया गया है। 1300 से अधिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 300 मूल्यांककों की पारदर्शी मूल्यांकन के लिए पहचान की गई है। फोस्टैक के अंतर्गत देश में पिछले एक वर्ष में लगभग 1400 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 27000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया। लगभग सभी राज्यों के 764 शहरों में प्रशिक्षण आरंभ किया जा चुका है।

आगे, मई 2018 में एक-वर्षीय फोस्टैक पूरा होने पर सभी प्रशिक्षण सहयोगियों ने 1 मई से 31 मई, 2018 तक कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके ''फोस्टैक के 1 वर्ष के समारोह'' में स्वेच्छापूर्वक भाग लिया। इस प्रकार एक माह में मणिपुर, मेघालय आदि पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर केरल, कर्नाटक इत्यादि दक्षिणी राज्यों में देश के विभिन्न स्थानों में 257 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। इस एक माह के दौरान कुल 4100 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

खाद्य प्राधिकरण के निर्णय के अनुपालन में सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और क्षेत्रीय निदेशकों को आदेश दिनांक 6 अक्टूबर, 2017 और 25 अप्रैल, 2018 द्वारा अपने राज्यों में राज्यों के लाइसेंसधारियों के साथ-साथ केंद्रीय लाइसेंसधारियों के लिए फोस्टैक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया। अब तक कुल 16 राज्यों ने फोस्टैक के लिए नोडल अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को नामित किया है। अब तक प्राधिकरण की 25वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार फोस्टैक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने का उपबंध खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में शामिल किया जा रहा है।

5.2 विनियामक स्टाफ का प्रशिक्षण

9 विभिन्न राज्यों अर्थात् कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 348 अधिकारियों ने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। अभिनामित अधिकारियों के लिए परिचय प्रशिक्षण कार्यक्रम दो राज्यों अर्थात् गुजरात और महाराष्ट्र में आयोजित किए गए, जिनमें 37 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान सरकार के 60 अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त

एफ.एस.एस.ए.आई के क्षेत्रीय कार्यालयों के तकनीकी अधिकारियों के लिए वीडियो सम्मेलन के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया। इस प्रकार कुल 3445 विनियामक अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षणकार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

6. सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

सुरक्षित और पोषक आहार (एसएनएफ)

दिनांक 21 सितंबर, 2017 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 24वीं बैठक में इच्छुक राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों को एसएनएफ गतिविधियों को अपनी आईईसी गतिविधियों का व्यापक स्तर पर अंग बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुमोदन दिया गया था। एफ.एस.एस.ए.आई की सुरक्षित और पोषक आहार पहल (एसएनएफ) का ध्येय निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार की संस्कृति अपनाने के लिए समाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन लाना है।

असम राज्य गुवाहाटी में दो पहलों, अर्थात् एसएनएफ@स्कूल और सर्व सेफ को अपना रहा है। गया। उदघाटन कार्यक्रम के साथ फोस्टैक के अंतर्गत उन्नत कैटरिंग के लिए एफएसएस प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असम ने राज्य में सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के लिए कुल 1 लाख रुपये की राशि का आबंटन करने का प्रस्ताव भेजा है। किसी राज्य को एसएनएफ के लिए वित्तीय सहायता देने का यह पहला दृष्टांत है।

7. शासन और प्रशासन

7.1 एफ.आर.एस.एल, गाजियाबाद को स्टाफ और परिसंपत्तियों के साथ एफ.एस.एस.ए.आई को सौंपने के बाद उसका परिसर एफ.एस.एस.ए.आई के सीधे नियंत्रण में है। कार्यालय और प्रयोगशाला इत्यादि के लिए बढ़ती जा रही आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यालय, प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं, होस्टल इत्यादि के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता है। एफ.आर.एस.एल में उपलब्ध अतिरिक्त खाली जगह का इस्तेमाल इन उदीयमान सुविधाओं के लिए जगह की बढ़ती जा रही आवश्यकता का सृजन करने के लिए एक टॉवर बनाने का निर्णय लिया गया है। एक बहुमंजिलीय कार्यालय भवन (पार्किंग/जनरेटर सेट के लिए दो भूतल + 7 मंजिलें) बनाना उपयुक्त समझा गया है। इस जगह का उपयोग कार्यालय, एफएसओ तथा अन्य अधिकारियों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा आवास बनाने के लिए किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग ₹ 42-45 करोड़ होगी। बड़ी परियोजना होने के

कारण एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यत: एनबीसीसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एचएससीसी इत्यादि से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की सेवा लेने का विचार कर रही है। भवन योजना तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से आवश्यक अनुमोदन लिया जा रहा है और यह प्राप्त होने वाला है।

7.2 एफ.एस.एस.ए.आई को जे.एन.पी.टी, मुंबई में 25000 वर्गमीटर जमीन दीर्घावधि पट्टे पर भी मिल गई है, जहाँ यह ₹ 35 करोड़ की कुल अनुमानित लागत से कार्यालय-सह-प्रयोगशाला और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय बनाएगी। आगे, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भी जमीन खरीदकर अथवा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से दीर्घावधि पट्टे पर जमीन लेकर संस्थागत प्रयोगशाला/नमूना संग्रहण सुविधा के साथ एकीकृत भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

7.3 प्राधिकरण सरकारी निर्देशों के अनुसार तथा एफ.एस.एस.ए.आई और सी.डी.एस.ओ की महिला कर्मचारियों की मांग पर एक डे-केअर सेंटर/क्रेश बना रही है। डे-केअर सेंटर/क्रेश बनाने के लिए एफडीए भवन के पीछे एक पुरानी ईमारत को चुना गया तथा एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा नियोजित प्रमुख विशेषज्ञों के माध्यम से मौजूदा ढाँचे की मजबूती सुनिश्चित कराने के बाद डे-केअर सेंटर के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है और पूरा होने वाला है। सेवा-प्रदाता इस परिसर का कार्य पूरा करके इसे जुलाई, 2018 के मध्य तक सौंप देगा। ढाँचे की छत पर योगा/मेडिटेशन और जिम की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। डे-केअर सेंटर/क्रेश/जिम/योगा को चालू करने के लिए ₹ 2 करोड़ व्यय होंगे। भूतल में तथा एफडीए भवन के पीछे खाली जगह में एफ.एस.एस.ए.आई के कर्मचारियों के लिए एक इनडोर मनोरंजन केंद्र तथा आउटडोर खेल सुविधा बनाने का प्रस्ताव है।

7.4 आगे, एफ.एस.एस.ए.आई के पास ड्राइवरों के लिए कोई जगह नहीं है तथा उन्हें अपनी गाड़ियों में इधर-उधर बैठना पड़ता है और मौसम की मार सहन पड़ती है। कैंपस में किसी जगह ड्राइवरों के लिए अस्थायी ढाँचा बनाने का प्रस्ताव है, जिससे वे ड्यूटी पर न होने पर वहाँ बैठ सकें और आराम कर सकें।

अनुबंध-3

"खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 पर मसौदा अधिसूचना दिनांक 13.03.2018 से संबंधित कार्यसूची की मद सं0 26.1(1) का एडेंडा

(i) दिनांक 25.05.2017 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 23वीं बैठक द्वारा अनुमोदित खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम का मसौदा हितधारकों से सम्मतियाँ प्राप्त करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की बेबसाइट पर दिनांक 08.11.2017 को अपलोड किया गया था तथा दिनांक 13.03.2018 को अधिसूचित किया गया था। दिनांक 26/27.04.2018 को आयोजित लेबलिंग और दावे/विज्ञापन वैज्ञानिक पैनल ने अपनी 25वीं बैठक में मसौदे पर प्राप्त सम्मतियों पर विचार किया। उनमें से एक सम्मति इन विनियमों में विहित ट्रेड मार्क, खाद्य की लेबलिंग में आने वाले ब्रांड नाम, खाद्य के प्रस्तुतीकरण अथवा विज्ञापन को संपूर्ण सामान्य और विशिष्ट शर्तों, प्रतिबंधों और प्रतिषेधों से छूट देने के बारे में था।

(ii) उपर्युक्त पर विस्तृत चर्चा के बाद वैज्ञानिक पैनल ने राय दी कि यह नीतिगत निर्णय है और प्राधिकरण इस पर नीतिगत दृष्टि से विचार करे। सम्मतियों के विवरण **अनुबंध-क** पर दिए गए हैं।

प्राधिकरण कृपया विचार कर परामर्श दे।

अनुबंध-क

ट्रेड मार्क, ब्रांड इत्यादि के संबंध में विवरण

क्रम सं0	संबंधित धारा	सम्मति	औचित्य	वैज्ञानिक पैनल की टिप्पणी
1.	**विनियम 2(ग) : परिभाषा** "दावा" से वह कोई मुद्रित, मौखिक, श्रव्य अथवा दृश्य प्रस्तुतीकरण अभिप्रेत है, जिससे यह कथन, सुझाव अथवा अभिप्राय अभिप्रेत हो कि किसी खाद्य में उसकी व्युत्पत्ति, पोषण गुणधर्मों, प्रकृति, प्रसंस्करण, संगठन के संबंध में अथवा अन्य प्रकारेण कोई विशेष गुण है।	हम ब्रांड नाम अथवा व्यापारिक नाम को विनियमों में विहित शर्तों से छूट देने का प्रस्ताव करते हैं, - 2 (ग) "दावा" से वह कोई मुद्रित, मौखिक, श्रव्य अथवा दृश्य प्रस्तुतीकरण अभिप्रेत है, और जिससे यह कथन, सुझाव अथवा अभिप्राय अभिप्रेत हो कि किसी खाद्य में उसकी व्युत्पत्ति, पोषण गुणधर्मों, प्रकृति, प्रसंस्करण, संगठन के संबंध में अथवा अन्य प्रकारेण कोई विशेष गुण है। **परंतुक : ब्रांड नाम और व्यापारिक नाम उपर्युक्त अपेक्षाओं से छूट-प्राप्त हैं।**	ट्रेड मार्क का पंजीकरण ट्रेड मार्क से संबंधित विधि अर्थात् ट्रेड मार्क अधिनियम के अंतर्गत विस्तृत जाँच के बाद और केवल तभी प्रदान किया जाता है जब मार्क को नया, अलग तथा किसी स्थापना की वस्तुओं और सेवाओं को अन्य स्थापनाओं की वस्तुओं और सेवाओं से भिन्न दर्शाने में क्षम हो। यदि आवेदित मार्क से भ्रम उत्पन्न होता हो, जनता को धोखा होता हो, उस का चालू भाषा में आम तौर पर प्रयोग होता हो अथवा वह आवेदक की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य की वस्तुओं और सेवाओं से भिन्न दर्शाने में क्षम न हो, तो पंजीकरण इन्कार कर दिया जाता है। एफएसएस विधियों के अंतर्गत ऐसे उपबंधों	यह नीतिगत निर्णय है।

क्रम सं0	संबंधित धारा	सम्मति	औचित्य	वैज्ञानिक पैनल की टिप्पणी
			को शामिल करने से कार्यों में देरी करने की प्रवृति बढ़ेगी तथा ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के कार्य-क्षेत्र में दखल होगी।	
2.	**विनियम 3.1 (3) :** यदि किसी खाद्य की लेबलिंग, प्रस्तुतीकरण अथवा विज्ञापन में आने वाला ट्रेड मार्क, ब्रांड नाम अथवा फैंशी नाम ऐसा हो कि उससे किसी पोषण अथवा स्वास्थ्य संबंधी दावा अभिप्रेत हो, तो इन विनियमों में विहित सभी सामान्य और विशिष्ट शर्तें, प्रतिषेध और प्रतिबंध लागू होंगे।	यदि किसी खाद्य की लेबलिंग, स्तुतीकरण अथवा विज्ञापन में आने वाला ट्रेड मार्क, ब्रांड नाम अथवा फैंशी नाम ऐसा हो कि उससे किसी पोषण अथवा स्वास्थ्य संबंधी दावा अभिप्रेत हो, तो इन विनियमों में विहित सभी सामान्य और विशिष्ट शर्तें, प्रतिषेध और प्रतिबंध लागू होंगे। ब्रांड नाम अथवा ट्रेड नाम को इन विनियमों में विहित शर्तों से छूट हो। **अथवा** इस खंड को काट दें।	ब्रांड नाम और ट्रेड नाम खाद्य कारोबारियों द्वारा पहले ही पंजीकृत कराए गए होते हैं। इन ब्रांड नामो अथवा ट्रेड नामों वाले उत्पाद अनेक वर्षों से बाजार में आए हुए होते हैं और सतत गुणता के बारे में उपभोक्ता के विश्वास से जुड़े होते हैं। **उत्पाद को ब्रांड नाम से जोड़ने के लिए** उपभोक्ता का विश्वास जीतने के लिए बहुत प्रयास किए गए होते हैं। **इससे ब्रांड की साख बढ़ती है।** ब्रांड नाम अथवा ट्रेड नाम को बदलने से खाद्य कारोबारियों पर बहुत अधिक वाणिज्यिक प्रभाव पड़ेगा। इससे उपभोक्ताओं के मन में भी भ्रम पैदा होगा। इससे खाद्य	यह नीतिगत निर्णय है।

क्रम सं0	संबंधित धारा	सम्मति	औचित्य	वैज्ञानिक पैनल की टिप्पणी
			कारोबारियों को उस ट्रेड मार्क का उपयोग करने की अनुमति न देना भी न्यायोचित नहीं होगा, जिसका उपयोग वह पूरे संसार में कर रहा है और खाद्य कारोबारी द्वारा उसमें बहुत समय और धन व्यय करके साख अर्जित की हुई होती है।	
3.	**विनियम 3.6 : सशर्त दावे** 'प्राकृतिक', 'ताजा', 'शुद्ध', 'असली', 'पारंपरिक', 'प्रीमियम', 'फाइनेस्ट', 'सर्वोत्तम', प्रामाणिक', 'जेन्युइन', 'वास्तविक' इत्यादि जैसे विशेषणों वाले दावे मार्गदर्शी सिद्धांतों की सारणी 4 में विहित शर्तों के अनुसार होंगे। तथापि 'घर पर बना', 'घर पर पका' इत्यादि शब्दों अथवा पदों वाले दावे जिनसे उपभोक्ता को भ्रम हो सकता है, का प्रयोग नहीं किया	ब्रांड नाम अथवा ट्रेड नाम को विनियमों में विहित शर्तों से छूट होगी। ब्रांड अथवा ब्रांड की किस्म के नामों के अंगस्वरूप विशेषणों और पंजीकृत ट्रेड मार्क के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे ट्रेड मार्क को अपवाद के रूप में अनुमति दी जा सकती है।	यथोपरि।	यह नीतिगत निर्णय है।

क्रम सं0	संबंधित धारा	सम्मति	औचित्य	वैज्ञानिक पैनल की टिप्पणी
	जाएगा।			
4.	**अनुसूची 5 : प्रीमियम, फाइनेस्ट, सर्वोत्तम, प्रामाणिक, जेन्युइन, वास्तविक शब्दों का प्रयोग** इन शब्दों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब लेबल और/अथवा विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया हो कि समग्र गुणता किस रूप में औचित्यपूर्ण है और उस शब्द विशेष का प्रयोग क्यों किया गया है।	अधिकांश अग्रणी भारतीय और विदेशी एल्कोहल ब्रांडों की स्थिति में पूरा ब्रांड नाम प्रीमियम, शुद्ध, असली इत्यादि पदों और शब्दों के माध्यम से उसके उप-विवरणक के साथ कंपोजिट ट्रेड मार्क के रूप में रजिस्टर्ड होता है और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के तहत संरक्षित होता है। अत: इन्हें दावे मानना अथवा उनके लिए स्पष्टीकरण मांगने का कोई औचित्य नहीं है। जहाँ एल्कोहल खाद्य है, यह पारंपरिक खाद्य से भिन्न है। बीवरेज एल्कोहल को उत्पाद के लेबल पर समाप्ति की तिथि अथवा पोषण मान देने से छूट है। इसी प्रकार हमारा विनम्र अनुरोध है कि बीवरेज एल्कोहल को भी इससे	इन सभी पैलेटों की आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजन से 'किस्म' बनाने के लिए मास्टर ब्लैंडर व्हिस्कियों के विभिन्न ब्लेंडों के साथ होता है। अत: जैसा बीवरेज एल्कोहल के मामले में ऊपर उल्लेख किया गया है, इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग ब्रांड विशेष की किस्म बताने के लिए किया जाता है। वे उत्पाद संबंधी दावे नहीं हैं। वे किसी ब्रांड की विभिन्न किस्मों को पहचानने/ उनमें अंतर बताने के माध्यम मात्र हैं। पूरे संसार में ऐसा इतिहास है।	इंटरनैशनल स्प्रिट्स एंड वाइन एसोशिएशन ऑफ इंडिया का यह वैध अनुरोध है। तथापि, प्राधिकरण इस पर नीति की दृष्टि से विचार कर सकती है, क्योंकि अन्य उद्योग भी अपनी उत्पाद श्रेणी के लिए छूट देने का अनुरोध कर सकते हैं।

क्रम सं0	संबंधित धारा	सम्मति	औचित्य	वैज्ञानिक पैनल की टिप्पणी
		छूट दी जाए।		